



बिहार सरकार


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग



Citizen Services (नागरिक सुविधाओं) के बारे में जानकारी भाग-18

सरकारी भूमि अतिक्रमण की सूचना ऑनलाइन अंचलाधिकारी के समक्ष दर्ज करें

- ✓ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना ऑनलाइन अंचलाधिकारी के न्यायालय में दायर करने की सुविधा।
- ✓ आम नागरिक विभागीय पोर्टल <http://biharbhumi.bihar.gov.in/> अंतर्गत “Revenue Court Management System” से अंचलाधिकारी के राजस्व न्यायालय में अतिक्रमण वाद हेतु सूचना दायर कर सकते हैं।
- ✓ राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया उक्त पोर्टल पर उपलब्ध लिंक “नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी” से प्राप्त कर सकते हैं।
- ✓ अतिक्रमण वाद हेतु दायर सूचना पर अंचलाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से रैयत उक्त पोर्टल से अवगत हो सकते हैं।
- ✓ सूचना ऑनलाइन दर्ज करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी, अंचलाधिकारी को भी सूचना देने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं होगी।



राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/LRC> पर उपलब्ध लिंक “नागरिक सेवाएँ” पर क्लिक करें तथा इन सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी हेतु “नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी” लिंक पर क्लिक करें।

